

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं0सं0-17/विविध-01-103/2025

पटना, दिनांक:- / / 2025

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी०/डिप्लोमा अध्ययनरत निम्नांकित छात्र को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के निमित्त कॉउंसिलिंग/साक्षातकार में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

Sl. No	Name	DOB	Department	Session	Studying Institute
1	2	3	4	5	6
01	Ravishankar Kumar	26.03 1983	Anatomy	2024-27	DMC, Darbhanga

2. बॉण्ड से आच्छादित होने वाले चिकित्सक/छात्र को यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बिहार राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा पूरी करेंगे।
3. उक्त आदेश में यदि भविष्य में नियम के आलोक में कोई विसंगति का मामला संज्ञान में आता है, तो तदनुसार निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

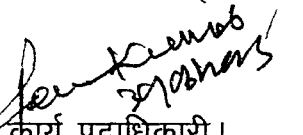
ज्ञापांक-17/विविध-01-103/2025 - 686(17) पटना, दिनांक:- 30/06/2025

प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित पी०जी०/डिप्लोमा अध्ययनरत छात्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।